

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15203/2025

1. Gopal Singh @ Nawab S/o Raghunath, Aged About 58 Years, R/o Village Nagla Harsukh Police Station Kaman, District Deeg (Rajasthan). (At Present In Central Jail In Judicial Custody Since 21.10.2025).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Rohila Mr. Siddarth Sogani
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

13/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— कामां, जिला— डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 540/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 303(2), 109(1), 329(3), 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से अन्य सहअभियुक्त प्रताप सिंह का जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था तथा प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल सिंह का जमानत आवेदन लंबित रखा गया था। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 16.01.2026 को संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में मुख्य गवाह आहत सुगनी ने अपने कथनों में यह आरोप लगाया है कि गोपाल ने

उसे जान से मारने की नियत से कटूटे से फायर किया और गोली उसके पास से निकल गई। इस संदर्भ में अन्य साक्षी परिवादी कमल सिंह ने आहत सुगनी की छाती पर कटूटे से फायर करने के आक्षेप सहअभियुक्त देवेन्द्र पर लगाए हैं और इसी प्रकार गवाहान कारू एवं मुरारी ने भी सहअभियुक्त देवेन्द्र द्वारा आहत सुगनी की छाती पर फायर करना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई आग्नेय अस्त्र की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा सहअभियुक्त देवेन्द्र के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके विरुद्ध अनुसंधान धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित रखा गया है। उनका यह भी तर्क है कि पक्षकारों के मध्य परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध क्राँस केस पंजीबद्ध कराए गए थे और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 542/2025 इस संदर्भ में पंजीबद्ध हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अपराध में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही है तथा परस्पर विवाद के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा चार्जशीट की प्रति प्रस्तुत की गई है जो संलग्न पत्रावली रहे।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परस्पर आहत सुगनी के साथ मारपीट की गई है और आहत सुगनी के सीने पर आग्नेय अस्त्र की चोटे पाई गई हैं तथा आहत सुगनी की एक्स-रे रिपोर्ट में छर्रे की उपस्थिति पाई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है, उसके विरुद्ध पूर्व में चार प्रकरण विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हुए हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आहत सुगनी के

आग्नेय अस्त्र से उपहृतियां कारित करने के आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर नहीं हैं, अपितु अन्य सहअभियुक्त देवेन्द्र पर हैं, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा अनुसंधान लंबित रखा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। दोनों पक्षकारों के मध्य क्रॉस केस परस्पर दर्ज होना अभिलेख पर आया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि एवं विचारण में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोपाल सिंह उर्फ नवाब पुत्र रघुनाथ** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते को बिना किसी विलंब के यथासंभव उसी दिन सत्यापित कर व सत्यापन के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J